PHILOSOPHY

Hons., Paper VI (Part II)

Rights and Duties

अधिकार और कर्तव्य

Dr. S.K. Singh
Mob.-9431499951

→ सामाजिक-राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति-राज्य संबंध की विवेचना के क्रम में तीन नैतिक प्रश्न उभरते हैं-

(i) हमें क्या प्राप्त होना चाहिये → अधिकार

(ii) हमें क्या करना चाहिये → कर्तव्य

(iii) कार्य-संपादन की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिये और कैसे निर्धारित होनी चाहिये → उत्तरदायित्व का प्रश्न।

(i) अधिकार :-

→ व्यक्ति की छिपी हुई संभावनाओं को साकारित करने हेतु, सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने के लिये, समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु अधिकारों का होना आवश्यक है।

→ अधिकार कुछ करने की स्वतंत्रता का नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुच्छेद 35 तक में मानव अधिकारों की विवेचना की गई है। इसके अन्तर्गत राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों को स्थान दिया गया है।

(ii) कर्तव्य :- कर्तव्य एक नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक दृष्टिकोण से मनुष्य को जो करना चाहिये, वही उसका कर्तव्य है। जैसे- सद्कर्मों का सम्पादन और दुष्कर्मों का हतोत्साहन किया जाना चाहिये।

अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध :-

→ साधारणतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। अधिकार में स्वार्थ की भावना है, वहीं कर्तव्य में परार्थ की भावना है। सामान्यतः अधिकार का अर्थ यह लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का आशय लाभ उठाने से है। इसमें स्वार्थ की भावना है। दूसरी ओर कर्तव्य का अभिप्राय है- दूसरों के लिये नैतिक कार्य करना। इस प्रकार से यह अभिप्राय

हानि प्रतीत होता है। इन्हीं सन्दर्भों में कभी-कभी अधिकार और कर्तव्य को एक-दूसरे का विरोधी मान लिया जाता है।

→ वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे का पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इनमें घनिष्ठ संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, वहीं कर्तव्य समाज का दूसरों के प्रति दावा है। यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं और इसी को दूसरों के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो फिर वही कर्तव्य हो जाता है। दोनों समाज के सभी सदस्यों के सर्वांगीण उत्थान और पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग हेतु आवश्यक आवश्यक हैं। दोनों में पूर्व-अपर सम्बन्ध न होकर सहचारी संबंध है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर बल देता है परन्तु दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो फिर किसी के लिये कोई अधिकार शेष नहीं रह ~~जायेगा~~ पायेगा। इस प्रकार सुखी, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण नागरिक जीवन के लिये दोनों में सम्यक सम्बन्ध आवश्यक है।

→ किसी व्यक्ति का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्यों का किस सीमा तक पालन कर रहे हैं। यदि मुझे कोई अधिकार प्राप्त है तो फिर दूसरों का यह कर्तव्य है कि वह मेरे उस अधिकार को माने, मेरे उस अधिकार के उपभोग में बाधा न डाले। इस प्रकार एक का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है।

→ सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं तथा अन्य के सहयोग से ही इसका उपभोग किया जा सकता है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही है।

→ यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ध्यान रखे एवं औरों के प्रति कर्तव्य का पालन न करे तो किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह पायेगा।

→ यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें तो फिर समस्त व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रह जाते हैं। अतः व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों पर विशेष ध्यान रखे।

Scanned with CamScanner